



2026:AHC:164193

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या - 28694 सन् 2017

श्रीमती माया

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता : राम चन्द्र यादव, रमेश चन्द्र द्विवेदी, यश

प्रताप सिंह, योगेन्द्र यादव

प्रतिवादी गण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 34

(क्रम संख्या 89)

माननीय न्यायमूर्ति श्री अनीश कुमार गुप्ता

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश चन्द्र द्विवेदी तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री राजीव गुप्ता को सुना।

2. वर्तमान याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 01.03.2017 के आदेश को चुनौती देते हुए दाखिल की गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के पति, अर्थात् श्री हरिश चन्द्र यादव की सेवाएं तत्काल प्रभाव से इस आधार पर समाप्त कर दी गई थीं कि श्री मोहन यादव नामक व्यक्ति से याचिकाकर्ता के पति की जन्मतिथि के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। याचिकाकर्ता के पति की जन्मतिथि उनकी सेवा पुस्तिका में 01.07.1966 अंकित थी तथा जन्म प्रमाण-पत्र से संबंधित दस्तावेज, जो टाउन इंटर कॉलेज, मोहम्मदाबाद गोहना, आजमगढ़ द्वारा जारी स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र था, का सत्यापन किया गया था।



3. उक्त इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य द्वारा यह रिपोर्ट दी गई कि कॉलेज के अभिलेख के अनुसार याचिकाकर्ता के पति की वास्तविक जन्मतिथि 01.07.1956 थी। उपर्युक्त आक्षेपित आदेश पारित किए जाने के पश्चात् याचिकाकर्ता के पति की दिनांक 17.04.2017 को मृत्यु हो गई। अतः उक्त हरिश चन्द्र यादव की पत्नी द्वारा वर्तमान याचिका दाखिल की गई है, जिसमें दिनांक 01.03.2017 के आदेश को इस आधार पर निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है कि उक्त आदेश पारित करने से पूर्व याचिकाकर्ता के पति को न तो सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया और न ही कोई नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादी मोहन यादव द्वारा की गई शिकायत के आधार पर सीधे एकपक्षीय जांच की गई और उसके पश्चात् याचिकाकर्ता के पति की अनुपस्थिति में आक्षेपित आदेश पारित कर दिया गया। यदि याचिकाकर्ता के पति को अवसर प्रदान किया गया होता, तो वे यह स्थिति स्पष्ट कर सकते थे कि उनकी वास्तविक जन्मतिथि 01.07.1956 है, न कि 01.07.1966, जैसा कि उस स्थानांतरण प्रमाण-पत्र के आधार पर दावा किया जा रहा है, जिसे प्रति-शपथपत्र के साथ संलग्नक सी.ए.-4 के रूप में पृष्ठ 16 पर संलग्न किया गया है।

4. याचिकाकर्ता का पक्ष यह है कि कथित शिकायतकर्ता, अर्थात् मोहन यादव, जो याचिकाकर्ता का पड़ोसी है, ने सार्वजनिक उपयोग की भूमि, जो तालाब के रूप में अभिलिखित है, पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया था और जिसके संबंध में याचिकाकर्ता के पति द्वारा इस न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका संख्या 36309 सन् 2016 दाखिल की गई थी तथा तत्पश्चात् याचिकाकर्ता के पति द्वारा अवमानना आवेदन (दीवानी) संख्या 706 सन् 2017 भी दाखिल किया गया था। इससे नाराज होकर उक्त मोहन यादव ने याचिकाकर्ता के पति के विरुद्ध तथाकथित शिकायत दिनांक 16.01.2017 की, जिसमें एकपक्षीय जांच की गई और याचिकाकर्ता के पति को किसी भी प्रकार का अवसर प्रदान किए बिना आक्षेपित आदेश पारित कर दिया गया। ऐसी स्थिति में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता दिनांक 01.03.2017 के आदेश को निरस्त किए जाने की प्रार्थना करते हैं तथा विधि के अनुसार याचिकाकर्ता को सभी परिणामी लाभ प्रदान किए जाने की प्रार्थना करते हैं।



5. राज्य के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता इस स्थिति में नहीं हैं कि वर्तमान मामले में दाखिल प्रति-शपथपत्र के आधार पर यह बता सकें कि आक्षेपित आदेश पारित किए जाने से पूर्व याचिकाकर्ता के पति को कोई नोटिस अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया था। ऐसी स्थिति में, याचिकाकर्ता ने रिट याचिका के अनुच्छेद 24 में विशेष रूप से यह अभिवचन किया है कि याचिकाकर्ता के पति को कभी भी कोई नोटिस अथवा सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया और उक्त अनुच्छेद 24 के संबंध में प्रतिवादियों द्वारा साधारण खंडन के अतिरिक्त कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के पति को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किए बिना आक्षेपित आदेश पारित किया गया था। उक्त दस्तावेज में कूटरचना किए जाने के संबंध में, जिसमें याचिकाकर्ता के पति की जन्मतिथि 01.07.1966 दर्शाई गई थी, याचिकाकर्ता के पति के विरुद्ध दिनांक 29.03.2017 को प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी और याचिकाकर्ता के पति की मृत्यु के कारण उक्त कार्यवाही उपशमित हो गई।

6. ऐसी स्थिति में, चूंकि याचिकाकर्ता के पति को कभी कोई नोटिस अथवा सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया था, अतः आक्षेपित आदेश दिनांक 01.03.2017 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन है। तदनुसार, उक्त आदेश एतद्वारा **निरस्त** किया जाता है। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता के पति को दिनांक 30.06.2016 से सेवानिवृत्त/अधिवर्षता प्राप्त मानते हुए, याचिकाकर्ता विधि के अनुसार सभी परिणामी लाभों की अधिकारी होगी। उक्त लाभ इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर प्रदान किए जाएंगे।

7. रिट याचिका तदनुसार **स्वीकृत** की जाती है।

(न्यायमूर्ति श्री अनीश कुमार गुप्ता)

5 अगस्त, 2026

शुभम आर्य